भारत में अपराध – 2022

झलकियां (राज्य/संघ शासित प्रदेश)

क) समग्र अपराध

वर्ष 2022 में 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए जिनमें 35,61,379 अपराध भारतीय दंड संहिता के एवं 22,63,567 स्थानीय एवं विशेष कानून के अपराध थे। यह 2021 में दर्ज मामलों (60,96,310) की तुलना में (2,71,364 मामले) 4.5% की कमी दर्शाते हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 2021 में 445.9 की तुलना में 2022 में घटकर 422.2 रह गई। 2021 की तुलना में 2022 के दौरान आईपीसी एवं एसएलएल के तहत दर्ज अपराधों में क्रमश: 2.8% और 7.0% की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2022 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी के मामलों की प्रतिशत भागिता 61.1% थी जबकि एसएलएल के मामलों की प्रतिशत भागिता 38.9% थी। **[तालिका-1.1]**

लोक सेवकों द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा (आईपीसी की धारा 188) के तहत दर्ज मामलों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई। जहाँ वर्ष 2021 में कुल 3,22,115 मामले प्रकाश में आए थे वहीं यह वर्ष 2022 में घटकर 67,350 हो गए। इसके अलावा 'अन्य आईपीसी अपराध' में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जिसके अंतर्गत यह 2021 के 4,96,535 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 में घटकर 2,92,964 हो गए। **[तालिका-1ए.4]** इसी प्रकार एसएलएल श्रेणी के तहत, मुख्य रूप से अन्य एसएलएल अपराधों के तहत कमी दर्ज की गई। वर्ष 2021 में 4,04,984 मामलों के मुकाबले वर्ष 2022 में 1,17,426 मामले दर्ज किए गए। परिणामतः वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान 1,69,383 मामलों की कमी हुई। **[तालिका-1ए.5]**

वर्ष 2022 के दौरान आईपीसी के तहत दर्ज कुल 56,59,787 मामले (पिछले वर्ष से लंबित 20,41,140 मामले + वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए 35,61,379 मामले + जाँच के लिए फिर से खोले गए 57,268 मामले) जाँच के अधीन थे। इनमें से पुलिस द्वारा कुल 36,60,786 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें शामिल 26,11,526 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आरोप-पत्र दायर किए जाने की दर 71.3% रही।

ख) मानव शरीर को आहत करने वाले अपराध[1] – सारांश

मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के कुल 11,58,815 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 के दौरान आईपीसी के तहत दर्ज अपराधों का 32.5% थे, जिनमें से सामान्य उपहति के मामले (कुल 6,27,676) अधिकतम (54.2%) थे, इसके बाद लापरवाही से मौत (1,59,096 मामले, 13.7%) और व्यपहरण व अपहरण के मामले (1,07,588 मामले, 9.3%) दर्ज किए गए। **[तालिका-1ए.4]**

नोट: आईपीसी के अध्याय XVI में "मानव शरीर को आहत करने वाले" अपराधों से संबंधित प्रावधान वर्णित है।

वर्ष 2022 में मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के तहत दर्ज मामलों में वर्ष 2021 (11,00,425 मामले) की तुलना में वर्ष 2022 में 5.3% की वृद्धि हुई और अपराध दर वर्ष 2021 में 80.5 से बढ़कर वर्ष 2022 में 84.0 हो गई है। **[तालिका-1ए.4]**

ग) हत्या

वर्ष 2022 के दौरान हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2021 (29,272 मामलों) की तुलना में 2.6% की मामूली कमी देखी गई। **[तालिका -2ए.1]**

वर्ष 2022 के दौरान हत्या के सर्वाधिक मामलों में 'विवाद' (9,962 मामले) मूल कारण था, इसके बाद 'आपसी रंजिश या दुश्मनी' (3,761 मामले) और 'लाभ प्राप्ति' (1,884 मामले) अन्य कारण थे। **[तालिका-2ए.2]**

घ) अपहरण एवं व्यपहरण

वर्ष 2022 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के कुल 1,07,588 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2021 (1,01,707 मामले) की तुलना में 5.8% की वृद्धि देखी गई। **[तालिका-2सी.1]**

वर्ष 2022 के दौरान कुल 1,10,140 (21,278 पुरुष, 88,861 महिला और 1 उभयलिंगी) पीड़ितों के अपहरण या व्यपहरण की सूचना मिली, जिनमें से 76,069 (13,970 पुरुष और 62,099 महिलाएं) [2] पीड़ित बच्चे थे और 34,071 (7,308 पुरुष, 26,762 महिला और 1 उभयलिंगी) पीड़ित वयस्क थे। **[तालिका-2सी.2]**

वर्ष 2022 के दौरान, कुल 1,17,083 अपहृत या व्यपहृत व्यक्तियों (21,199 पुरुष, 95,883 महिलाएं और 1 उभयलिंगी) को ढूँढ लिया गया, जिनमें से 1,16,109 व्यक्ति जीवित बचा लिये गए और 974 व्यक्ति मृत पाए गए। **[तालिका-2सी.4]**

च) जन-शांति भंग करने के अपराध

वर्ष 2022 के दौरान भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जन-शांति भंग करने के अपराधों के कुल 57,082 मामले दर्ज हुए, ऐसे कुल मामलों में से दंगे (37,816 मामले) के मामलों का प्रतिशत 66.2% था। जन-शांति भंग करने के अपराधों के मामलों में वर्ष 2021 (63,391 मामले) की तुलना में वर्ष 2022 में 10.0% की कमी दर्ज की गई। **[तालिका-1ए.4]**

छ) महिलाओं के प्रति अपराध

वर्ष 2022 में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए जो कि वर्ष 2021 (4,28,278) की तुलना में 4.0% की वृद्धि को दर्शाते हैं। **[तालिका – 3ए.1]**

आईपीसी के तहत महिलाओं के प्रति अपराध के अधिकांश दर्ज मामले 'पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता' (31.4%) के पाए गए, इसके बाद 'महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण' (19.2%) 'शील भंग

करने के इरादे से महिलाओं पर हमला' होने के मामले (18.7%), एवं 'बलात्संग के मामले' (7.1%) दर्ज किए गए। प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर वर्ष 2021 में 64.5 की तुलना में वर्ष 2022 में 66.4 दर्ज की गई। **[तालिका – 3ए.2]**

ज) बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2022 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2021 (1,49,404 मामले) की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाते हैं। **[तालिका – 4ए.1]**

वर्ष 2022 के दौरान प्रतिशतता के संदर्भ में 'बच्चों के प्रति अपराध' के तहत दर्ज अधिकांश मामलों में प्रमुखता, अपहरण और व्यपहरण (45.7%) व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज अपराध (39.7%), जिनमें बाल बलात्संग भी शामिल है, की रही। प्रति लाख बच्चों की जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर, वर्ष 2021 के 33.6 की तुलना में वर्ष 2022 में 36.6 रही। **[तालिका – 4ए.3]**

झ) कानूनी मामलों में फंसे किशोर

वर्ष 2022 के दौरान किशोरों के प्रति कुल 30,555 मामले दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2021 (31,170 मामलों) की तुलना में 2.0% कम रहे। अपराध दर वर्ष 2021 में 7.0 से घटकर वर्ष 2022 में 6.9 हो गई है। **[तालिका - 5ए.1]**

वर्ष 2022 में कुल 30,555 मामलों में 37,780 किशोर पकड़े गए, जिनमें 33,261 किशोर आईपीसी मामलों में और 4,519 किशोर एसएलएल अपराधों के तहत बंदी बनाए गए। **[तालिका – 5ए.4]**

वर्ष 2022 में कानूनी मामलों में फंसे अधिकांश किशोर (37,780 में से 29,690) (78.6%) जो कि आईपीसी और एसएलएल अपराध के तहत पकड़े गए, 16 से 18 आयु वर्ग के थे। **– तालिका[5ए.4]**

त) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

कुल 28,545 वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के प्रति किए गए अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2021 (26,110) में दर्ज मामले की तुलना में 9.3% की वृद्धि को दर्शाता है। **[तालिका – 6ए.1]**

वर्ष 2022 के दौरान अपराध शीर्षवार मामलों से पता चलता है कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध के सबसे अधिक मामले साधारण उपहति के (7,805, 27.3%) दर्ज हुए, इसके बाद चोरी के मामले (3,944, 13.8%) एवं `एफसीएफ- जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी' के मामले (3,201, 11.2%) दर्ज किए गए। **[तालिका – 6ए.2]**

थ) **अनु. जातियों के प्रति अत्याचार/अपराध**

वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध के कुल 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2021 (50,900 मामले) की तुलना में 13.1% की वृद्धि को दर्शाता है। दर्ज अपराध दर वर्ष 2021 में 25.3 से बढ़कर वर्ष 2022 में 28.6 हो गई **[तालिका – 7ए.1]**

वर्ष 2022 के दौरान अपराध शीर्षवार मामलों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध/अत्याचार के सर्वाधिक मामले साधारण उपहति (18,428, 32%) के तहत दर्ज हुए, जिसके बाद आपराधिक धमकी (संत्रास) के 9.2% (5,274 मामले) मामले और अनु. जाति/अनु.ज.जा. (अत्याचार निषेध) अधिनियम के तहत 8.2% (4,703 मामले) दर्ज हुए। **[तालिका – 7ए.3]**

द) **अनुसूचित जन-जातियों के प्रति अपराध/अत्याचार**

वर्ष 2022 में अनुसूचित जन-जातियों के प्रति अपराध के कुल 10,064 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2021 (8,802 मामले) की तुलना में 14.3% की वृद्धि को दर्शाता है। दर्ज की गई अपराध दर वर्ष 2021 में 8.4 से बढ़कर, 2022 में 9.6 हो गई **[तालिका – 7सी.1]**

वर्ष 2022 के दौरान शीर्षवार अपराध के मामलों से पता चलता है कि अनुसूचित जन-जाति के प्रति अपराध/अत्याचारों में सबसे अधिक मामले साधारण उपहति (2,826, 28.1%) के हैं, उसके बाद बलात्संग के (1,347 मामले, 13.4%) और शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले (1,022 मामले, 10.2%) के हैं। **[तालिका – 7सी.3]**

ध) **आर्थिक अपराध**

आर्थिक अपराध के तहत कुल 1,93,385 मामले दर्ज हुए, जो कि वर्ष 2021 (1,74,013 मामले) की तुलना में 11.1% की वृद्धि को दर्शाते हैं। आर्थिक अपराध की तीन विनिर्दिष्ट श्रेणियों यानि कि आपराधिक विश्वासघात, `जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी' एवं कूटकरण में से वर्ष 2022 के दौरान सबसे अधिक मामले एफसीएफ के (1,70,901 मामले) दर्ज हुए। इसके बाद दर्ज हुए मामलों में आपराधिक विश्वासघात (21,814 मामले) और कूटकरण (670 मामले) का स्थान आता है। **[तालिका – 8ए.2]**

न) **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**

राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2021 में दर्ज 3,745 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 में कुल 4,139 मामले दर्ज किए जो कि 10.5% की वृद्धि को दर्शाते हैं। 4,139 मामलों में से अधिकांश 69.7% मामले जाल में फंसाने (2,883) के हैं, उसके बाद 13.2% मामले आपराधिक कदाचार (547 मामले) के पाए गए। कुल 4,993 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 852 व्यक्तियों को सज़ा दी गई तथा 445 व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। **[तालिका – 8सी]**

प) साइबर अपराध

साइबर अपराध के तहत कुल 65,893 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2021 (52,974 मामले) की तुलना में 24.4% अधिक थे। इस श्रेणी के तहत अपराध दर वर्ष 2021 में 3.9 से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.8 हो गई। वर्ष 2022 के दौरान दर्ज हुए 64.8% साइबर अपराध, धोखाधड़ी के उद्देश्य से किए गए (65,893 में से 42,710 मामले), उसके बाद जबरन वसूली के 5.5% (3,648 मामले) और यौन उत्पीड़न के 5.2% (3,434 मामले) हैं। **[तालिका – 9ए.3]**

फ) राज्य के प्रति अपराध

वर्ष 2021 में 5,164 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 में कुल 5,610 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 8.6% की वृद्धि दर्ज की गई। 5,610 मामलों में से, 78.5% मामले 'सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम' (4,403 मामले) के, उसके बाद 'गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम' के तहत 1,005, (17.9%) मामले दर्ज किए गए। **[तालिका – 10ए.2]**

ब) पर्यावरण संबंधी अपराध

वर्ष 2021 के दौरान 64,471 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 में पर्यावरण संबंधी अपराधों के तहत कुल 52,920 मामले दर्ज किए गए, जो 17.9% की कमी दर्शाते है। अपराध के शीर्ष-वार मामलों से यह पता चलता है कि सर्वाधिक मामले सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत 80.6% (42,642 मामले), इसके बाद ध्वनि प्रदूषण अधिनियम (राज्य/केंद्र) के तहत 13.9% (7,378 मामले) मामले दर्ज हुए । **[तालिका - 11.2]**

भ) विदेशियों के प्रति अपराध एवं विदेशियों द्वारा कारित अपराध

वर्ष 2021 में दर्ज 150 मामलों की तुलना में विदेशियों (पर्यटक और निवासी) के प्रति अपराध के कुल 192 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 28.0% की वृद्धि दर्ज की गई। अधिकांश मामले चोरी (34) और ब्लात्संग (28) के तहत दर्ज किए गए। 192 दर्ज मामलों से संबंधित 222 पीड़ितों में से 56.8% पीड़ित (126) एशियाई महाद्वीप के और 18.0% पीड़ित (40) अफ्रीका के थे। **[तालिका – 13ए.1-6]**

वर्ष 2021 में विदेशियों के विरुद्ध दर्ज 2,585 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 में कुल 2,100 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 18.8% की कमी देखी गई। अपराध शीर्षवार मामलों से पता चलता है कि विदेशी अधिनियम और विदेशी पंजीकरण अधिनियम (1,022 मामले) के तहत 48.7% मामले दर्ज किए, इसके बाद 'स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस)' (410 मामले) के तहत 19.5% मामले दर्ज हुए। **[तालिका - 13 बी.1-6]**

म) मानव तस्करी

वर्ष 2021 के 2,189 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 में मानव तस्करी के कुल 2,250 मामले दर्ज किए गए, जिसमें गत वर्ष की अपेक्षा 2.8% की वृद्धि दर्ज हुई। कुल 6,036 पीड़ितों की तस्करी के मामले दर्ज

हुए जिनमें 2,878 बच्चे एवं 3,158 वयस्कों की तस्करी हुई। उल्लेखनीय है कि 6,693 पीड़ितों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। और 5,864 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। **[तालिका - 14.1-7]**

य 1) गुमशुदा व्यक्ति

वर्ष 2022 में कुल 4,42,572 व्यक्तियों (1,49,008 पुरुष, 2,93,500 महिला एवं 64 उभयलिंगी) की गुमशुदगी दर्ज हुई। वर्ष 2021 के दौरान लापता हुए 3,89,844 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2022 में गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या में 13.5% की वृद्धि हुई है। **[तालिका - 15.2]**

वर्ष 2022 के दौरान, कुल 4,01,077 व्यक्ति (1,34,765 पुरुष, 2,66,250 महिलाएं एवं 62 उभयलिंगी) मिले/ढूँढे गए। **[तालिका-15.2]**

2) गुमशुदा बच्चे [2]

वर्ष 2022 में 83,350 बच्चों की (20,380 पुरुष, 62,946 महिलाएं एवं 24 उभयलिंगी) गुमशुदगी दर्ज हुई। वर्ष 2021 के दौरान गुमशुदा हुए 77,535 बच्चों की तुलना में, वर्ष 2022 में गुमशुदा हुए बच्चों की संख्या में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। **[तालिका - 15.1]**

वर्ष 2022 के दौरान, कुल 80,561 बच्चे (20,254 बालक, 60,281 बालिकाएं एवं 26 उभयलिंगी) मिल पाए/ढूँढे गए। **[तालिका - 15.1]**

र) संपत्ति से जुड़े अपराध

वर्ष 2021 में संपत्ति से जुड़े अपराधों के तहत दर्ज 7,62,368 मामलों की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान दर्ज 8,39,252 मामलों में 10.1% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 के दौरान अधिकतम चोरी (6,52,731 मामले) के मामले दर्ज हुए, उसके बाद सेंधमारी के 1,07,222 मामले दर्ज हुए, जो कि कुल मामलों के क्रमशः 77.8% और 12.8% हैं। **[तालिका – 1ए.4]**

वर्ष 2022 के दौरान रु 5,223.3 करोड़ रू मूल्य की संपत्ति चोरी हो गई एवं 1,882.5 करोड़ रू मूल्य की संपत्ति की वसूली की गई जो कि चोरी हुई संपत्ति का 36.0% है। **[तालिका – 20ए.1]**

वर्ष 2022 के दौरान संपत्ति से जुड़े 2,79,185 मामले आवासीय परिसरों में घटित हुए। हालांकि, 16,014 मामलों के साथ अधिकांश लूट की घटनायें सड़क मार्गों (राजमार्ग व सड़क शामिल है) पर घटित हुई। **[तालिका – 20ए.2]**

नोट 2: रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 75/2012 – बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 10.05.2013 को जारी निर्देश – किसी भी लापता बच्चे के संबंध में; किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के मामले को अपहरण या तस्करी की प्रारंभिक धारणा मानते हुए उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जानी चाहिए।

ल)	**दस्तावेज़ एवं संपत्ति चिह्न से संबंधित अपराध**

वर्ष 2021 में 1,52,772 मामलों की तुलना में, वर्ष 2022 में दस्तावेज एवं सम्पत्ति चिह्न से संबंधित अपराध के 1,71,571 मामले दर्ज हुए , जिनमें कूटकरण और `जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी' जैसे अपराध शामिल हैं। इनमें से 99.6%(1,70,901 मामले) एफसीएफ से संबंधित थे। **[तालिका – 1ए.4]**

व)	**शस्त्र अधिनियम के तहत जब्ती**

वर्ष 2021 के दौरान शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज कुल 74,482 मामलों की तुलना में, वर्ष 2022 में 80,118 मामले दर्ज हुए, जिसमें 1,04,390 शस्त्र जब्त किए गए इनमें से 3,609 शस्त्र लाइसेंसी या कारखाने में बने थे और 1,00,781 शस्त्र गैर लाइसेंसी/कामचलाऊ/अनगढ़/देसी थे। वर्ष 2022 के दौरान कुल 1,10,928 गोला-बारूद भी जब्त किए गए। **[तालिका – 20बी.1]**

स)	**विस्फोटक पदार्थों की जब्ती**

वर्ष 2021 में जब्त 1,42,914 कि.ग्रा. विस्फोटक की तुलना में वर्ष 2022 में कुल 88,987 कि.ग्रा. विस्फोटक (आरडीएक्स, टीएनटी, प्लास्टिक विस्फोटक, गन पाउडर, पटाखे, आतिशबाज़ी आदि) जब्त किए गए। इसमें राष्ट्र-विरोधी तत्वों (चरमपंथियों/विद्रोहियों/आतंकवादियों) से जब्ती (510 कि.ग्रा.) एवं तस्करों सहित अन्य अपराधियों से जब्त किए गए (88,477 कि.ग्रा.) विस्फोटक शामिल हैं।

वर्ष 2021 में 8,78,293 की तुलना में वर्ष 2022 में कुल 2,79,986 विस्फोटक उपकरण (डेटोनेटर, जिलेटिन स्टिक, ग्रेनेड, लैंडमाइन और आईईडी आदि) भी जब्त किए गए। **[तालिका – 20बी.4]**

श)	**भारतीय जाली मुद्रा (FICN) की जब्ती**

वर्ष 2022 के दौरान 42,10,406 की संख्या में ₹3,82,66,68,710 मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा जब्त की गई। **[तालिका – 20बी.2(ii)]**

ष)	**आईपीसी के तहत दर्ज मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान**

क्रम.सं.	आईपीसी के अंतर्गत होने वाले अपराध	जांच के लिए कुल मामले	आरोप-पत्र दायर होने की संख्या	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	हत्या	49,220	25,658	81.5	2,63,960	6,904	43.8
2.	बलात्संग	44,785	26,508	77.9	1,98,285	5,067	27.4
3.	अपहरण एवं व्यपहरण	1,81,240	41,656	36.4	3,24,480	5,167	33.9
4.	उपहति (तेजाब के हमले सहित)	8,58,817	5,70,027	89.9	36,51,991	79,644	35.9

5.	दंगे	67,739	34,963	86.6	5,63,696	5,939	24.9

ह) एसएलएल मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

क्रम.सं.	एसएलएल के अंतर्गत होने वाले अपराध	जांच के लिए कुल मामले	आरोप-पत्र दायर होने की संख्या	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	आबकारी अधिनियम	4,04,555	3,65,264	99.2	13,14,502	2,02,311	85.3
2.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ , 1985	1,58,267	1,05,547	98.3	4,04,461	35,879	82.2
3.	शस्त्र अधिनियम	96,432	79,743	98.5	5,42,535	20,408	65.5

कक) गिरफ्तारियां, दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति

आईपीसी एवं एसएलएल मामलों को मिलाकर कुल 53,90,233 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो इस प्रकार हैं:

i. आईपीसी अपराध के 35,61,379 मामलों के तहत कुल 32,28,322 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 43,67,588 व्यक्तियों के आरोप-पत्र दायर किए गए, 10,55,181 व्यक्ति दोषसिद्ध हुए, 9,81,194 व्यक्ति दोषमुक्त हुए तथा 1,52,787 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। **[तालिका – 19ए.6]**

ii. एसएलएल अपराध के 22,63,567 मामलों के तहत कुल 21,61,911 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 27,04,985 व्यक्तियों के आरोप-पत्र दाखिल किए गए, 14,16,858 व्यक्ति दोषसिद्ध हुए, 3,69,789 व्यक्ति दोषमुक्त हुए तथा 57,187 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। **[तालिका – 19ए.8]**

केरल (96.0%), पुदुचेरी (91.3%) और पश्चिम बंगाल (90.6%) आईपीसी अपराधों के तहत उच्चतम चार्ज-शीटिंग दर रिपोर्ट करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं।